सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 150/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. माधू पुत्र रिद्धकरण जाति जाट निवासी भीमडावास उपतहसील कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
2. राधाकिशन पुत्र बन्ना लाल गूर्जर निवासी भीमडावास उपतहसील कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर

-----प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. रामेश्वर पुत्र जोधा गूर्जर निवासी भीमडावास उपतहसील कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तह. केकड़ी जिला अजमेर

------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2069—72 के हाल खसरा नम्बर 525 रकबा 0.40है., 526 रकबा 0.42 है. जो कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में आने जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 524/2359 रकबा 0.58 है. किस्म बा.3 में से 12 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 524 है, खसरा नम्बर 524 के लगवा सिवायचक खसरा नम्बर 524/2359 रकबा 0.58 है. है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 524 में मिला लिया है तथा रास्त को बन्द कर दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण को दिनांक 06.07.2017 से अब तक जवाब हेतु 5 मौके दिये जा चुके हैं किन्तु अप्रार्थीगण 1 ने कोई जवाब आदि पेश नही किया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उनके पत्र क्रमांक राजस्व/357 दिनांक 07.05.2018 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की है जो शामिल पत्रावली की गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा संलग्न है जिसमें प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नम्बर 524 व 524/2359 के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर 60 x 4 = 240 वर्ग मी. का रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो सिवायचक खाते में दर्ज है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का अतिक्रमण होना प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है। पत्रावली आज केम्प कोर्ट भीमडावास में पेश हुई जहां प्रार्थीगण व अप्राथीगण उपस्थित है। अप्रार्थी सं. 1 ने उपस्थिति के हस्ताक्षर नही करके केम्प के बाहर चला गया है जिसकी मजमें आम में उपस्थित नागरिकों ने जाहिर किया है। लिहाजा मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया विवरण निम्न प्रकार है—

प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी वाके ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2069—72 के हाल खसरा नम्बर 525 रकबा 0.40है., 526 रकबा 0.42 है. जो कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में आने जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 524/2359 रकबा 0.58 है. किस्म बा.3 में से 12 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 524 है, खसरा नम्बर 524 के लगवा सिवायचक खसरा नम्बर 524/2359 रकबा 0.58 है. है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 524 में मिला लिया है तथा रास्त को बन्द कर दिया है जिसे खुलाशा कर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कराने का प्रार्थीगण ने निवेदन किया है।

बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के आराजी खसरा नम्बर 524/2359 रकबा 0.58 है. पर मेरा कोई अतिक्रमण नही है, एवं यदि उक्त रकबे से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। बहस के दौरान अप्रार्थी सख्या 2 अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 524/2359 रकबा 0.58 है. में से रास्ता चाहा गया है जो बारानी सिवायचक खाते में दर्ज है। खसरा नम्बर 524 जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है की दक्षिणी सीमा के सहारे प्रार्थीगण पूर्व में आते जाते रहे है एवं वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता खुला हुआ है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते को गै.मु. रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। अतः रास्ता दिया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजी में आने–जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम भीमडावास तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 524/2359 रकबा 0.58 है. में से 60 X 4 = 240 वर्ग मी. का रास्ता जिसकी डीएलसी दर 190800 रूपये/हैक्ट. से मुल्य 4580 X 2 = 9160 रूपये जमा राजकोष कराने पर वर्णित आराजी की राजस्व मानचित्र में रास्ता हेतु तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी